


55



1

II निगरानी विदिशा भू-रा/2017/1760
न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक- /2017

श्री जयेश्वर सिंह चौधरी
द्वारा आज दि. 14/06/17 को
प्रस्तुत

क्रमांक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
14/6/17

कच्छेदी लाल कुशवाह पुत्र स्व०श्री
पूरन सिंह कुशवाह, आयु-58वर्ष,
निवासी-ग्राम औलिंजा तहसील
ग्यारसपुर जिला विदिशा (म०प्र०)

----आवेदक

बनाम

रामचरण कुशवाह पुत्र स्व०श्री
घासीराम कुशवाह, आयु-65वर्ष,
निवासी-ग्राम औलिंजा तहसील
ग्यारसपुर जिला विदिशा (म०प्र०)

----अनावेदक

श्री जयेश्वर सिंह चौधरी
द्वारा आज दि. 14/06/17 को
प्रस्तुत

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 19/05/2017 पारित द्वारा
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ग्यारसपुर के प्रकरण क्रमांक-
90/अपील/2015-16 से दुखित होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार

प्रस्तुत हैं:-

निगरानी के सक्षिप्त तथ्य:-

3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक: (1707) 2017 जिला 1760 डि.डि.भ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
82-18	<p>हावेदार डा. के. सी. वी. एस. घाण्डे उप. उ. के उ. र. य. व. र. नोट-बुक में समाप्त होने का निवेदन किया। विपरीत हावेदार की धारणा के निवेदन पर नोट-बुक में समाप्त किया जाता है। उपरोक्त कारखाने के रिकार्ड हैं।</p>	<p>प्रकरण क्रमांक: 1707 ... 08/02/18 M. P. ...</p>

3

प. म. म. म.